न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 14/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

मांगीलाल पुत्र गोप्या जाति मेघवंशी निवासी पाठेड़ा तहसील व जिला बारां (अप्रार्थी)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर एड़. (अप्रार्थीया)

आदेश दिनांक– 14.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के विवादित आराजी ख0नं0 436 रकबा 0.13 है., 438 रकबा 0.06 है. 440 रकबा 0.09 है. किस्म नहरी 2, कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. वाके ग्राम पाठेड़ा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 से पूर्व नकल खाता मौजा पाठेड़ा संवत 2009–12 में मूल खसरा नंबर 135 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता की किस्म नहरी द्वि. व बारानी द्वि. दर्ज कर का अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थि[illegible] दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

2– प्रार्थना पत्र [illegible] दर्ज कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा [illegible] अभिभाषक उपस्थित देकर जवाब इस [illegible]य का पेश किया कि यह आराजी मेरे पिता गोप्या उर्फ गो[illegible]लाल पुत्र रामलाल उ[illegible]ा जाति मेघवंशी

निवासी पाठेड़ा को आवंटित हुयी थी, तभी से इस आराजी पर उक्त आवंटी गोप्या उर्फ गोपीलाल तथा उसके स्वर्गवास के बाद मुझ अप्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा बाद आवंटन इस आराजी को कृषि योग्य बनाने में करीबन 60–70 साल पहले रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है तथा निरन्तर अप्रार्थी इस आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त प्रकरण अवधि बाधित होने से पोषणीय नही है।

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीया एवं अप्रार्थीया स्वंय भी अनुपस्थित रहने पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

5– हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम पाठेड़ा की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 से पूर्व नकल खाता मौजा पाठेड़ा संवत 2009–12 अनुसार मूल खसरा नंबर 135 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता की किस्म नहरी द्वि. व बारानी द्वि. खसरा नंबर 436 रकबा 0.13 है., 438 रकबा 0.60 है. एवं 440 रकबा 0.09 है. कुल किता 3 रकबा 0.28 है.दर्ज कर का अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु. रास्ता थी, जो परिवर्तन तथा आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 436 रकबा 0.13 है., 438 रकबा 0.60 है. एवं 440 रकबा 0.09 है. कुल किता 3 रकबा 0.28 है. किस्म नहरी द्वि. व बारानी द्वि. बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2009–12 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 135 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का आवंटन/नियमन किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2038–57 खसरा नंबर 76 रकबा 0.20 है. किस्म नहरी 3 घीस्या पुत्र नाथ्या के खाते दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 76

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.20 है., जो वर्तमान में अप्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि घीस्या पुत्र नाथ्या को आवंटित/नियमनशुदा आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 436 रकबा 0.13 है., 438 रकबा 0.60 है. एवं 440 रकबा 0.09 है. कुल किता 3 रकबा 0.28 है. बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम पाठेड़ा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.13 है., 438 रकबा 0.60 है. एवं 440 रकबा 0.09 है. कुल किता 3 रकबा 0.28 है. किस्म नहरी द्वि. व बारानी द्वि., जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 135 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता से बना है जिसका गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)